

तारीख
हुक्म

2023/82

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24.03.2024 में कोर्ट विप्राशी दंड्य 1 के नाम दर्ज क्रमि व उनके नाम एजीक्यूटिव क्लॉकेज के नामान्तरण हेतु आंशिक शिथिलता प्रदान करते हुए नामान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली आईन्डा 11.03.2025 को पेश है।

11.03.25

पत्रावली पेश हुई। प्राशी व विप्राशी वकील उपस्थित। उभय पक्ष आधिवक्ता ने दौराने बहस जारी अंतरिम अर्च्वाई निषेधाज्ञा को लाफैलला कर्फा करने का निवेदन किया। मते विडान आधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली में खेलाज दस्तावेजों का स्थान एवं अवलोकन किया। चूंकी प्राशी व विप्राशी विवादित आराजी के सहकार्य में हैं तथा उक्त आराजी के संबंध में दर्ज कांड में प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है तथा कांड अंतिम डिक्री होना तम है। अतः प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2023 को जारी अंतरिम अर्च्वाई निषेधाज्ञा को वाद के फैलल होने तक लाफैलला कर्फा किया जाता है। पत्रावली फैलल सुमार होकर दायिल वफतर हो।

सहायक कलक्टर
SDO धोरीगना

